**संख्या-180/2022/1229/001-23-10-22-56(सामान्य)/2022**

प्रेषक,

अभय कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-10** **लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बस्ती क्षेत्र के जनपद बस्ती के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2079/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/बी0ए0एस0/2022-23 दिनांक 10.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत **बस्ती क्षेत्र के जनपद बस्ती के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु** निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि **रू0 113.03 लाख (रूपये एक करोड़ तेरह लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | खण्ड/जनपद | मार्ग का नाम | स्वीकृत मूल लागत | दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन | दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष | बचत | वर्ष 2022-23 में आवंटन | अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | बस्ती | प्रा.ख. बस्ती | जनपद बस्ती में पिपरागौतम से कसौरा मार्ग पर मनोरमा नदी स्थित सोनियाघाट के पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण। | 581.84 | 538.14 | 43.70 | 0.67 | 0.00 | 43.03 | 33.90 | 9.13 | 43.03 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | बस्ती | प्रा.ख. बस्ती | काली नदी पर मजहाकिटा सम्पर्क नार्ग पर 6X28 X 5 मी0 स्पान के सेतु | 1440.44 | 1334.87 | 105.57 | 0.41 | 0.00 | 105.16 | 55.15 | 14.85 | 70.00 |
| | | | योग - | **2022.28** | **1873.01** | **149.27** | **1.08** | **0.00** | **148.19** | **89.05** | **23.98** | **113.03** |

**अवमुक्त धनराशि रू0 113.03 लाख (रूपये एक करोड़ तेरह लाख तीन हजार मात्र)**

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

**(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।**

(2) **उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 89,05,000 ( **रुपये नवासी लाख पॉच हजार मात्र** ) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 23,98,000 (**रुपये तेईस लाख अटठानबें हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-यक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07 **जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

**भवदीय,**

**(अभय कुमार)**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या-180 / 2022 / 1229 / 001-23-10-22-56(सामान्य) / 2022-**तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता** (**सेतु**), **लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-8।
(7) **राज्य योजना आयोग अनुभाग**-1/2 ।
(8) **गार्ड फाइल ।**

**आज्ञा से,**

**(अभय कुमार )**
**संयुक्त सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in